# न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

**निगरानी संख्या /26/2018/नागौर (2018/00026)**

1. गुलाबचन्द पुत्र रामगोपाल, जाति माली निवासी मालियों का मोहल्ला बड़ली, नागौर।

———प्रार्थी

## बनाम

1. विकास कुमार पुत्र गुलाब चन्द जाति माली निवासी माली मोहल्ला बड़ली नागौर तहसील व जिला नागौर।
2. नगर परिषद्, नागौर जरिये आयुक्त
3. सभापति नगर परिषद्, नागौर।

————अप्रार्थीगण

———

निगरानी अन्तर्गत धारा 73(2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम विरूद्ध आदेश व प्रस्ताव दिनांक 28–8–2017 पत्रावली संख्या 242/17–18 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के हक में शाश्वत लीज दिनांक 13–9–2017 को जारी की गई।

————

उपस्थित– श्री सविता चौहान, अभिभाषक प्रार्थी
श्री गजेन्द्र सिंह, अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1
श्री, जे.के.पन्त अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3

## निर्णय

दिनांक 13.01.2020

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि बड़ली मोहल्ला नागौर में एक सम्पत्ति स्थित है जिसके उत्तर में आम रास्ता, व निकाल दक्षिण में लक्ष्मी नारायण का पट्टाशुदा जमीन, पूर्व में सीताराम रेगर का मकान पश्चिम में आम रास्ता स्थित है। इस भूमि का माप 2610 वर्गफुट है इस भूमि पर उत्तर में अप्रार्थी संख्या 1 का मकान स्थित है जो कि नगर परिषद्, नागौर द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा जारी कर बनाया गया है। दक्षिण में प्रार्थी गुलाबचन्द की कब्जाशुदा जमीन स्थित है जिस पर पूर्व में 38X14 फीट में लोहे के टीनशेड लगे हुए है तथा सीमेन्ट का आंगन बना हुआ है दक्षिण में लोहे के टेंक रखे हुए है पश्चिम में दो गेट लगे है। उक्त भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3

के साथ मिलीभगत कर उक्त भूमि पर अपना पुराना आवासीय कब्जा कागजी तौर पर बताते हुए फर्जी तरीके से ब्ल्यूप्रिन्ट नक्शा तैयार कर उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा 1414.75 वर्गफुट पर आवासीय नियमन करने के आवेदन पेश करना बताते हुए अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त भूमि पर पुराना आवासीय कब्जा व रहवास होना मानतेहुए अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा प्रस्ताव लिया जाकर आवेदित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियमन करने का आदेश पारित कर दिनांक 13–9–2017 को शाश्वत लीज जारी कर दी गई। प्रार्थी उक्त भूमि का कब्जाधारी है जिसका प्रार्थी के पिता के समय से कब्जा है अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का पुत्र है तथा अभी तक सम्पत्ति का बंटवारा नहीं किया गया है अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त तथ्य छिपाकर अपनी कब्जाशुदा जमीन बताकर प्रार्थी की कब्जाशुदा जमीन का नियमन करवा लिया है। उक्त आदेश व प्रस्ताव से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायलय में प्रस्तुत की गई है।

निगरानी Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को बिना सुनवाई का समचित अवसर प्रदान कर एकतरफा में आदेश पारित किया है जिसी सर्वप्रथम जानकारी उस समय हुई जब अप्रार्थी ने मौके पर आकर प्रार्थी को बेदखल कर कब्जा लेने की धमकी दी। इस पर उक्त आदेश व प्रस्ताव दिनांक 28–8–2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर आदेश व प्रस्ताव की नकल प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर निगरानी तैयार करवाकर आज बिना किसी विलम्ब के यह निगरानी पेश की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि स्वायत शासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अुसार नियमन केवल उसी भूमि का उसी व्यक्ति के नाम किया जा सकता है जिसका उस भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया गया हो व निर्माण किया गया हो। अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त भूमि पर न तो कब्जा है एव ना ही हक हिस्सा है। उक्त भूमि प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि है तथा

प्रार्थी के दो पुत्र क्रमशः विकास जो कि अप्रार्थीगण संख्या 1 है तथा दूसरा पुत्र लक्ष्मी नारायण है। प्रार्थी द्वारा अपने बड़े पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दूसरी भूमि प्रदान की गई है। नियमन की गई भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से मिलीभगत करके प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि का नियमन करवा लिया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि नियमों के अनुसार नियमन कराने वाले व्यक्ति के पास पुराना कब्जा साबित करने के लिए राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पानी बिजली का बिल व अन्य दस्तावेजात होना आवश्यक है जिससे यह साबित हो सके कि उस व्यक्ति का मौके पर काफी समय से कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने राशन कार्ड व आधार कार्ड पेश किया है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 काफी समय सेअपने परिवार सहित बीकानेर निवास कर रहा है। नियमन की गई भूमि पर पानी व बिजली का कनेक्शन प्रार्थी के नाम से है ना कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से। उक्त विवादित भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पूर्व में भी स्टेट ग्रांट एक्ट 1961 के अन्तर्गत पट्टा जारी करने बाबत पत्रावली संख्या 163/2011–12 पेश की गई परन्तु प्रार्थी द्वारा आपत्ति किये जाने पर सम्पत्ति का बंटवारा नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 में बंटवारा नहीं होने के करण पत्रावली खारिज कर दी गई थी। इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से मिलीभगत कर नियम विरूद्ध प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि का नियमन करवा लिया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नियमन आवेदन पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वार किसी प्रकार के आपत्ति नोटिस जारी नहीं किये गये और जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई वह झूठी व मनधडंन्त थी जो कि वास्तविक स्थिति के विपरीत है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पूर्व में पत्रावली संख्या 163 बाबत जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था उसमें पड़ौस पूर्व में सीताराम का मकान, पश्चिम में रास्ता व निकाल, उत्तर में रास्ता व निकाल, दक्षिण में गुलाबचन्द का नोहरा दर्शाया गया परन्तु पत्रावली संख्या 242/2017–18 जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया है उसमें पड़ौस में उत्तर में संजू का मकान, दक्षिण में स्वयं की जमीन, पूर्व में सीताराम का मकान, पश्चिम में रास्ता बताया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा गलत पडौस बताकर प्रार्थी की भूमि जो कि दक्षिण में स्थित है, को स्वयं की जमीन बताकर बेईमानीपूर्वक गलत तथ्य प्रस्तुत कर प्रस्ताव व आदेश पारित करवाया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। नगर पालिका अधिनियम की धारा 73–क के तहत धारा 71 या धारा 73 के अधीन भूमि का प्रत्येक अन्तरण या तो पूर्ण स्वामित्व के आधार पर या पट्टा धृति के आधार पर होगा। पट्टाधृति आधार पर विक्रित, आवंटित, नियमित या अन्यथा अन्तरित किसी भी भूमि को ऐसे निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन रहते हुए और ऐसे संपरिवर्तन प्रभारों के संदाय पर, जो विहित किये जाये, पूर्ण स्वामित्व भूमि के रूप में संपरिवर्तित किया जा सकेगा। अतः निगरानीकर्ता की याचिका स्वीकार कर नगर पालिका नागौर द्वारा पारित आदेश व प्रस्ताव दिनांक 28–8–2017 व इसकी

अनुपालना में जारी लीज दिनांक 19–9–2017 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपील में अंकित कथनों एवं बहस के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी बरवक्त बहस प्रस्तुत कर इनकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया यथा–

(1) राजस्थान नगर पालिका (गैर कृषिक भूमि .....पट्टे की मंजूरी) का अध्याय–3 विविध नियम 11. दस्तावेजी साक्ष्य
(2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 पेज 135 धारा 73
(3) नकल पत्रावली संख्या 163 /2011–2012
(4) नकल दस्तावेज बेचाननामा दिनांक 8–6–2015
(5) नकल सहमति पत्र दिनांक 23–3–2017

उक्त सभी दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण से तथ्यपरक भिन्नता होने के कारण प्रस्तुत अपील में पूर्णतः चस्पा नहीं होते है क्योंकि प्रकरण में पट्टा जों नगर परिषद् नागौर द्वारा जारी किया गया है उसको उपपंजीयक, नागौर के द्वारा दिनांक 14–9–2017 को पंजीयन किया जा चुका है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की उक्त बहस का जवाब देते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि निगरानीधीन आदेश में लिप्त भूमि नागौर शहर में बड़ली मोहल्ला के मालीवास में अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा कब्जे स्वामित्व की सम्पत्ति आई हुई है जिसके उत्तर में अप्रार्थी संख्या 1 का मकान बना हुआ है, दक्षिण हिस्से में अप्रार्थी संख्या 1 ने नोहरा के रूप में खुली भूमि छोड़ रखी है। निगरानीधीन आदेश में लिप्त सम्पत्ति का एक मात्र स्वामी काबिज मालिक अप्रार्थी संख्या 1 विकास कुमार ही है। अप्रार्थी संख्या 1 के अलावा अन्य किसी का स्वामित्व कब्जा हक अधिकार हिस्सा इस सम्पत्ति पर नहीं है।

उन्होंने यह भी अंकित किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा स्वामित्व की सम्पत्ति तथा इस सम्पत्ति के दक्षिण दिशा की सम्पत्ति सभी अप्रार्थी संख्या 1 के बुजुर्गो की पैतृक सम्पत्ति रही है। बुजुर्गो की इस सम्पूर्ण सम्पत्ति का विभाजन आज से लगभग 9 वर्ष पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 व निगराकार प्रार्थी के बीच मौखिक रूप से कर लिया गया था। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 का पिता है। प्रार्थी द्वारा बुजुर्गो से प्राप्त पैतृक प्रश्नगत सम्पत्ति के 03 हिस्से पक्षकारों के मौखिक विभाजन के अनुसार किये गये तब सबसे उत्तर दिशा का हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में रखा गया था। सम्पत्ति के बीच का हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के भाई लक्ष्मीनाराण के हिस्से में रखा गया। दक्षिण तरफ का हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता गुलाबचन्द के हिस्से में रखा गया। पारिवारिक विभाजन के बाद से अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से की सम्पत्ति पर काबिज है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की उक्त बहस का जवाब देते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस में यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता गुलाबचन्द प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के भाई लक्ष्मीनारायण ने अपने पिता गुलाबचन्द के कहने से अपने–अपने हिस्सो का विभाजन से प्राप्त भूमि का स्टेट ग्रांट एक्ट के अन्तर्गत पट्टे प्राप्त करने के लिए एक ही दिन में नगर पालिका में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर नगर पालिका नागौर ने पत्रावली संख्या 163/2011–12 एवं श्री लक्ष्मी नारायण के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली संख्या 164/2011–12 तथा गुलाब चन्द प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पत्रावली संख्या 165/2011–12 दर्ज की गई। उक्त तीनों पत्रावलियां प्रार्थी गुलाबचन्द, पिता , अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं की सहमति से नगर पालिका में प्रस्तुत की गई थी। अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में आयी प्रश्नगत भूमि पर बने छोटे से मकान को तुड़ाकर रिश्तेदारों वगैरह से उधार लेकर तथा एल.आई.सी हाउसिंग से ऋण लेकर व स्वयं की पूंजी से पूरा नया मकान बनाया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पूरा मकान बनाये जाने के दौरान प्रार्थी/गुलाबचन्द ने कोई आपत्ति नहीं की। नगर परिषद् में प्रार्थी निगराकार/गुलाबचन्द द्वारा सहमति दिये जाने से अन्य द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं करने पर सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनायी जाकर नियमों की पालना की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 की विभाजन में प्राप्त सम्पत्ति का स्टेट ग्रान्ट पट्टा जारी कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्से की सम्पत्ति के उत्तरी हिस्से की 290 वर्गगज भूमि का ही पट्टा लेने हेतु आवेदन किया गया तथा नगर परिषद् द्वारा इतनी ही भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया गया है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की उक्त बहस का जवाब देते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस में यह भी कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी के पास जो सम्पत्ति है वह अप्रार्थी संख्या 1 के दादाजी की सम्पत्ति रही है जो पैतृक है। प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं होने से प्रार्थी के साथ अप्रार्थी संख्या 1 का बहिस्सा बराबर का हक अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 1 से प्रकरण में लिप्त सम्पत्ति पर जन्म से अधिकार होने से विभाजन के बाद प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को बंट में दिये जाने से अब प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध किसी प्रकार के प्रकरण प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रखता है। प्रार्थी/गुलाबचन्द द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाने के लिए एफआईआर दर्ज करवायी गई। एफ.आई.आर में बाद जांच प्रकरण में कोई फ्रोड नहीं पाये जाने से एफ.आई.आर को खारिज कर दिया गया । नगर परिषद् द्वारा जारी पट्टा का उपपंजीयक कार्यालय द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को रजिस्ट्रेशन उपरान्त पुनः लौटाया जा चुका हैं जब एक बार पट्टे का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया तो ऐसे पट्टे के विरूद्ध नगर पालिका अधिनियम के तहत निगरानी के श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही के अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील के जवाब में अंकित कथनों एवं दौराने बहस उठाये गये बिन्दुओं के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया यथाः—उक्त कथन के समर्थन में अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने निम्न नजीरे (1) डीएनजे 2016 (एससी) II 1121, (2) आरएलडब्ल्यू 2016 (राज0) पेज 985, (3) डीएनजे 2008 (राज) पेज 1441, (4) डीएनजे (3)(राज) 2008 वेज 1465 यह सभी न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत अपील में पूर्णतः चस्पा होते है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की उक्त बहस का जवाब देते हुए अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 विकास कुमार के हिस्से की जमीन का ही नियमन किया गया है। जिसके समर्थन में प्रार्थी स्वयं व धापी पत्नी भगवानाराम, श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री नारायण राम उम्र 62 वर्ष जाति माली निवासी माली मोहल्ला, बड़ली तहसील नागौर, द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित भूमि पर करीब 30—40 वर्ष से खुद काकब्जा है। अप्रार्थी संख्या 1 तब से ही यहीं पर सपरिवार कच्चा पक्का मकान बनाकर रहता है। साथ ही श्री गुलाब चन्द प्रत्र रामगोपाल के दो पुत्र क्रमशः विकास कुमार एवं लक्ष्मी नारायण है इसके अलावा अन्य कोई उत्तराधिकारी वारिस नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 को उनके आधिपत्य की अधोलिखित एवं मानचित्रानुसार दर्शित आवासीय सम्पत्ति/भवन का पट्टा स्वत्व अधिकार मण्डल/बोर्ड/एम्पावर्ड के निर्णय/स्वीकति दिनांक 28—8—2017 के अनुसार राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के प्रावधानान्तर्गत पट्टा जारी किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की लिखित एवं मौखिक बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन कर संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा स्वामित्व की सम्पत्ति तथा इस सम्पत्ति के दक्षिण दिशा की सम्पत्ति सभी अप्रार्थी संख्या 1 के बुजुर्गो की पैतृक सम्पत्ति रही है। अप्रार्थी संख्या 1 के कथनानुसार बुजुर्गो की इस सम्पूर्ण सम्पत्ति का विभाजन आज से लगभग 9 वर्ष पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 व निगराकार प्रार्थी के बीच मौखिक रूप से कर लिया गया था। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 का पिता है। प्रार्थी द्वारा बुजुर्गो से प्राप्त पैतृक प्रश्नगत सम्पत्ति के 03 हिस्से पक्षकारों के मौखिक विभाजन के अनुसार किये गये तब सबसे उत्तर दिशा का हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में रखा गया था। सम्पत्ति के बीच का हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के भाई लक्ष्मीनाराण के हिस्से में रखा गया। दक्षिण तरफ का हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता गुलाबचन्द के हिस्से में रखा गया। पारिवारिक विभाजन के बाद से अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से की सम्पत्ति पर काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पूरा मकान बनाये जाने के दौरान प्रार्थी/गुलाबचन्द ने कोई आपत्ति नहीं की। नगर परिषद् में प्रार्थी निगराकार/गुलाबचन्द द्वारा सहमति दिये जाने से अन्य द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं करने पर सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनायी जाकर नियमों की पालना की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 की विभाजन में

प्राप्त सम्पत्ति का स्टेट ग्रान्ट पट्टा जारी कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्से की सम्पत्ति के उत्तरी हिस्से की 290 वर्गगज भूमि का ही पट्टा लेने हेतु आवेदन किया गया तथा नगर परिषद् द्वारा इतनी ही भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के पास जो सम्पत्ति है वह अप्रार्थी संख्या 1 के दादाजी की सम्पत्ति रही है जो पैतृक है। प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं होने से प्रार्थी के साथ अप्रार्थी संख्या 1 का बहिस्सा बराबर का हक अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 1 से प्रकरण में लिप्त सम्पत्ति पर जन्म से अधिकार होने से विभाजन के बाद प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को बंट में दिये जाने से अब प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध किसी प्रकार के प्रकरण प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रखता है। प्रार्थी/गुलाबचन्द द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाने के लिए एफआईआर दर्ज करवायी गई। एफ.आई.आर में बाद जांच प्रकरण में कोई फ्रोड नहीं पाये जाने से एफ.आई. आर को खारिज कर दिया गया । नगर परिषद् द्वारा जारी पट्टा का उपपंजीयक कार्यालय द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को रजिस्ट्रेशन उपरान्त पुनः लौटाया जा चुका हैं जब एक बार पट्टे का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया तो ऐसे पट्टे के विरूद्ध नगर पालिका अधिनियम के तहत पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही करने के अधिकार सिविल न्यायालय को है।

प्रश्नगत सम्पत्ति एवं भवन जो कि पुश्तैनी सम्पत्ति है जिस पर परिवार के सभी सदस्यों का हक व हिस्सा निहित होता है। श्री गुलाबचन्द पुत्र रामगोपाल के पारिवारिक सजरे अनुसार उनके दो पुत्र क्रमश विकास कुमार एवं लक्ष्मी नारायण है जिस पर विधिक रूप से दोनों का ही हक व अधिकार निहित है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं गवाहों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अलोकन से अप्रार्थी संख्या 1 का विवादित सम्पत्ति पर कब्जा निहित है। आयुक्त, नगर परिषद् नागौर द्वारा जारी लीज दिनांक 13–9–2017 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार प्रार्थी की निगरानी याचिका सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा आयुक्त, नगर परिषद्, नागौर द्वारा पारित लीज आदेश दिनांक 13–9–2017 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

**(लक्ष्मी नारायण मीणा)**
**संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2020.04.07 13:21:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: